न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/240

01. रामवतार पुत्र प्रसादी लाल, जाति महाजन उम्र करीब 70 साल निवासी ग्राम नसवारी थाना गोविन्दगढ़ जिला अलवर रजास्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

01. जिला मजिस्ट्रेट, अलवर राजस्थान।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री महेन्द्र कुमार खींची, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांकः 06.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 से असंतुष्ट होकर आर्म्स अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट ने उप जिला दण्डनायक राजगढ के यहॉ से एक आर्म्स लाईसेन्स सख्या 15/एस.डी.एम./आर./76 प्राप्त किया हुआ है जिसके तहत अपीलान्ट के पास 12 बोर बन्दूक एकनाली संख्या 3678 डी/4 है जो अनुज्ञा पत्र दिनांक 31.12.2006 तक नवीनीकृत था लेकिन अपीलान्ट अपनी पत्नी व उसके बाद अपनी विभिन्न बीमारियां के कारण तथा परेशानियों में भूल जाने के कारण अपीलान्ट समयावधि में उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सका बीमारियों से थोड़ा उबरने के बाद तथा अपीलान्ट को याद आने के बाद अपीलान्ट ने अनुज्ञा पत्र नवीनीकरकण हेतु प्रार्थना पत्र तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया लेकिन तहत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के माध्यम से अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र नवीनीकरण को अपीलान्ट के तथ्यों एवं परिस्थितियों को नजर अन्दाज कर खारिज कर दिया है जो आदेश विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने एवं प्रार्थना पत्र नवीनीकरण स्वीकार कर शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत किय जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट 70 साल का एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति है जो कि प्रारम्भ से ही सभ्य व शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करता आ रहा है। अपीलान्ट ने उपरोक्त अनुज्ञा पत्र सन् 1976 में ही प्राप्त कर लिया था तथा अनुज्ञा पत्र प्राप्ति किये हुए करीब 45 साल का समय हो गया है लेकिन इस अवधि में अपीलान्ट के खिलाफ किसी पुलिस थाना अथवा न्यायालय में अपराधिक प्रकरण दर्ज व निर्णित नही हुआ है, ना ही इस प्रकार की पत्रावली पर कोई रिपोर्ट मौजूद थी ऐसी अवस्था में अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण होने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट नसवारी थाना गोविन्दगढ जिला अलवर का निवासी है तथा जाति से वैश्य है। ग्राम नसवारीं मेव समाज की बहुलता वाला क्षेत्र है तथा अपीलान्ट की बिरादरी का ग्राम नसवारी में एक मात्र मकान है। अपीलान्ट ने अपनी तन व धन की सुरक्षा के लिऐ उक्त शस्त्र अनुज्ञा प्राप्त किया था जिसका अपीलान्ट ने कभी कोई मिसयूज नही किया है। ऐसी अवस्था में भी अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण होने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही किया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ग्राम पंचायत नसवारी का 25 साल तक सरपंच रहा है तथा सन् 2020 से 2015 तक पंचायत समिति सदस्य व उप प्रधान पंचायत समिति लक्ष्मणगढ रहा है। सन् 2015 से 2020 तक अपीलान्ट की पुत्रवधु पूजा गुप्ता ग्राम पंचायत नसवारी की सरपंच रही है। इस प्रकार अपीलान्ट व उसका परिवार राजनैतिक गतिविधियों से जुड़े रहकर सामाजिक कार्यो को अंजाम दे रहे है। ऐसी अवस्था में विभिन्न विपक्षी लोगों द्वारा अपीलान्ट तथा उसके परिवार से चुनावी व राजनैतिक रंजिश रखा जाना संभव है ऐसी अवस्था में भी अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किया जाना आवश्यक था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 जिला मजिस्ट्रेट अलवर अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाकर अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 15/एस.डी.एम./आर/76 नवीनीकरण करने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्टकी ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलान्ट व उनकी पत्नी की बीमारियों सम्बन्धि दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष सन् 1976 में जारी किया हुआ है जो समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है किन्तु अपीलान्ट अपनी स्वयं की व अपनी पत्नी की बीमारियों के ईलाज में व्यस्त रहा है जिस कारण से अपीलान्ट उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र समय पर प्रस्तुत नही कर पाया है

जो कि एक सद्भाविक भूल है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट, अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र के नवीनीकरण की विधि सम्मत कार्यवाही 3 माह में सम्पादित करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।